भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 900

07 फरवरी,2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मुख-संबंधी स्वास्थ्य देखभाल

900. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मुख-संबंधी स्वास्थ्य देखभाल के लिए दिए जाने वाले उपचार के विषय में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपचार के लिए प्रमुख मुख-संबंधी समस्याओं जैसे दंत क्षय, पेरियोडोंटल रोग, मुख-संबंधी कैंसर,फ्लोरोसिस, मैल-ऑक्लूजन आदि को चिह्नित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार मुख-संबंधी स्वास्थ्य देखभाल के उपचार में कर्नाटक की दंतभाग्य, तमिलनाडु की बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, केरल की मंदहासम योजना जैसी योजनाएं शुरू करने/कार्यान्वित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण मुख-संबंधी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायगी के लिए देश की जन स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत 2014-15 से राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनओएचपी) संचालनरत है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जिला अस्पतालों में डेंटल लैब और जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में डेंटल केयर यूनिट स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में कुल 9587 दंत चिकित्सा परिचर्या इकाइयों को एनओएचपी के तहत आंशिक या पूर्ण रूप से सहायता दी गई है।

एनओएचपी के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार दंत क्षय, पेरियोडोंटल रोग, फ्लोरोसिस, मैलोक्लूजन, डेंचर फेब्रिकेशन, मुख कैंसर और पूर्व-घातक विकार के उपचार के लिए उपकरण, मानव संसाधन, उपभोग्य सामग्रियों, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) और प्रशिक्षण कार्यकलापों के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

*****